

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (मोप्र०)

:: आदेश ::

क्रमांक:- ४३/अ-५९/२०१७-१८/

। ३४।

बैतूल दिनांक ०२/०२/२०१८

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत कङ्गी जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, ग्राम सोनाघाटी में आवासीय पट्टे वितरित किए जाने के लिए मौजा सोनाघाटी पटवारी हल्का नंबर 14 रा० नि० म० खेड़ीसॉवलीगढ़ तहसील व जिला बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रक्का 19.660 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव तहसीलदार बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2— ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार (खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)— मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रक्का 20.170 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)— दिनांक २-१०-२०१७ को आयोजित ग्रामसभा में मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रक्का 20.170 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)— राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष २०१७-१८ के अनुसार मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रक्का 20.170 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मद मे दर्ज है।

(4)— उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर नायब तहसीलदार(खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल /अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बैतूल द्वारा मौजा सोनाघाटी तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रक्का 20.170 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-237 (1) (ट) के अनुसार कलेक्टर दखल रहित भूमि को किन्ही अन्य प्रयोजनों लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाए, पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक- १/२०११/अधी./१०८४२, दिनांक ८-११-२०१६ तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक २५-२-२०१७ द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समरत धाराओं के प्रकरणों का

त्रिवक्रम करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।



4— प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, नायब तहसीलदार (खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त) बैतूल / अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सोनाघाटी प. ह. नं. 14 तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 137/1 रकबा 20.170 हैक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.800 हैक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्थाही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलकन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ०क्र०:- ४२ / अ-५९ / २०१७-१८ / १३४।

बैतूल दिनांक ०७/०२/२०१८

प्रतिलिपि:-

- 1— अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 2— नायब तहसीलदार बैतूल (खेड़ी सॉवलीगढ़ वृत्त)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्ररतुत करें।
- 3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5— सचिव ग्राम पंचायत कढ़ई जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

१२/१९